न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख प्राथमिक निर्णय
55/15	दावा	20.08.15	07.12.17

सुमन पुत्री सियाराम पत्नि चेतराम जाति मीना निवासी माधोराजपुरा हालवासी कोलेता तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

–वादीया

बनाम

1. किशनलाल । पुत्रान छीतर सभी जाति मीना निवासीयान माधोराजपुरा
2. भरतलाल । तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. गज्जु ।
4. लल्लू । पुत्रान किशनलाल
5. वली ।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री राजेन्द्र सोनी वकील वादीया।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीया इस प्रकार से है कि वादीया ने एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 63 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 93 रकबा 02 बीघा, खसरा नं0 98 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 114 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 146 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 169 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 179 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 180 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं0 197 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा वादीया की पुश्तैनी भूमि है जिसकी खातेदारी वादीया के बाबा प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज है जिसमे वादीया के बाबा प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड 1/2 है। वाद पत्र मे दर्ज पारिवारिक सजरा के अनुसार वादीया के बाबा किशनलाल के चार पुत्र है। वादीया के पिता जो प्रतिवादी नं0 1 के ज्येष्ठ पुत्र है, का स्वर्गवास दिनांक 10.07.1995 को हो चुका है। शेष प्रतिवादी सं0 3,4,5 वादीया के चाचा है। पारिवारिक सामंजस्य से विवादित भूमि पर सभी शामिल मे फसल काश्त करते चले आ रहे है। वादीया अपने पिता के फोत होने के पश्चात से विवादित भूमि मे अपने पिता के हिस्से 1/8 पर शामिल मे फसल काश्त करती चली आ रही है। प्रतिवादी सं0 1,3,4,5 के मन मे बदनियति आने से अब विवादित भूमि पर शामिल मे फसल काश्त करना संभव नही है। दिनांक 15.08.2011 को वादीया विवादित भूमि पर फसल की सार संभाल करने गयी तो प्रतिवादी नं0 1 व 3 लगायत 5 सभी ने एक राय होकर ऐलानिया धमकी दी कि तेरे पिता की मृत्यु होने के साथ ही उक्त विवादित भूमि से तेरा कोई वास्ता नही रहा है। प्रतिवादी सं0 1 ने यह भी कहा कि मेरे पुत्र सियाराम की मृत्यु होने के बाद से उसके सभी हक हकूक समाप्त हो चुके है। अब तुझे विवादित भूमि पर फसल काश्त नही करने देगे, ना ही तुझे कोई हिस्सा देगें। वादीया ने हाथ जोडकर प्रतिवादीगण से कहा कि मेरे पिता तुम्हारे पुत्र व सगे भाई है जिसकी मै वादीया वैध व एक मात्र संतान हूँ। विवाादित भूमि मे मेरा हिस्सा मेरे जन्म के साथ ही विधि अनुसार उत्पन्न हो चुका है। लेकिन प्रतिवादीगण ने एक नही सुनी। प्रतिवादी सं0 1,3,4,5 सभी आपस मे साज किये हुए है जो कि जबरन लट्ठ के बल पर मुझ वादीया को विवादित भूमि से बेदखल कर मेरे हिस्से को हड़पने पर उतारू है जिसका प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। इसलिए वादीया ने उक्त आराजीयात के हिस्से 1/8 की पृथक से अपने नाम घोषणा खातेदारी कराकर बंटवारा कर खाता व लगान राजस्व रिकार्ड मे पृथक से कायम कराये जाने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

(राजपाल यादव)
उप खण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला-करौली

दावा वादीया दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी सं0 2 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये लिहाजा इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं0 1, 3 लगायत 5 को कई अवसर दिये गये किन्तु कोई जवाब दावा पेश नही किया तथा प्रतिवादी सं0 6 ने प्रकरण मे राज्य हित निहित नही होने के कारण कोई जवाब दावा पेश नही किया इसलिए तनकीयात कायम नही की गई। साक्ष्य में वादीया सुमन का शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई। दस्तावेजी साक्ष्य मे वादीया ने जमाबंदी नकल ग्राम माधोराजपुरा सम्बत् 2064–67, पिता सियाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, दसवी बोर्ड परीक्षा की अंकतालिका की प्रति पेश की है। प्रतिवादीगण की ओर से ना तो कोई साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया है और ना ही को दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है।

विद्वान अभिभाषक वादीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा पेश जमाबंदी नकल ग्राम माधोराजपुरा तहसील सपोटरा सम्बत् 2064–67 के अनुसार विवादित आराजीयात किशनलाल, भरतलाल पुत्र छीतर के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। वादीया ने इस प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजीयात किशनलाल, भरतलाल पि0 छीतर की स्वअर्जित है या इनका नाम राजस्व रिकार्ड मे जरिये विरासत दर्ज किया गया है। राजस्थान काश्तकारी कानून व हिन्दू उत्तराधिकार कानून मे पिता व दादा के जीवनकाल मे पुत्र,पुत्री व पौत्र, पौत्री का अधिकार केवल पिता या दादा की पुश्तैनी भूमि मे ही होता है, न कि स्वअर्जित भूमि मे। साथ ही दावा मे अंकित सजरा भी अधूरा है। उक्त सजरे मे किशनलाल की पत्नि व सियाराम की पत्नि का कोई उल्लेख नही किया है तथा विवरण मे भी उक्त दोनो महिलाओं के जीवित या मृत होने का कोई उल्लेख नही है। वादीया ने वादपत्र मे यह भी अंकित नही किया है कि वह सियाराम की इकलोती संतान है।

अतः दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव मे दावा वादीया खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.12.2017 को सरे इजलासा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

(राजपाल यादव आरएएस)
उप खण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली